

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी) (14) के संदर्भ में सम्पदा निदेशालय की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्धसूचना का विवरण**

1. आबंटन के नियमों और विनियमों का सारांश |
2. नीति आदेशों और दिशानिर्देशों का विवरण |
3. परिपत्र |
4. नागरिक चार्टर |
5. होलिडे होम्स और अतिथि गृहों का विवरण|
6. सामान्य पूल रिहायशी आवास के लिए घोषित कार्यालयों की पात्रता सूची|
7. अधिकारियों और दूरभाष नंबरों की सूची |
8. कर्मचारियों की सकल मासिक आय |
9. सामान्य पूल रिहायशी आवास की मांग और उपलब्धता |
10. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली कार्यप्रणाली|
11. सम्पदा निदेशालय में प्रायोजित दस्तावेज़ |
12. मकान का आबंटन और निम्न से संबंधित जानकारी|
  - (क)वैयक्तिक आवेदकों के बारे में जानकारी|
  - (ख)आवासीय स्टॉक |
    - (ग) किया गया आबंटन |
    - (घ) प्रतीक्षा सूची और संबन्धित प्रश्न |
    - (ड.)लाइसेंस शुल्क की दरें|
  - (च) उपयोग किए जा रहे प्रपत्र|
13. बाजार - आबंटन,निरसनऔरलाईसेंस शुल्क के प्रतिसंहरण से संबन्धित जानकारी |
14. कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)|
15. सम्पदा निदेशालय मे सीपीआईओ और एफएए की सूची |
16. अन्य जानकारीवेबसाइट में उपलब्ध है [www.estates.gov.in](http://www.estates.gov.in) अथवा [www.holidayhomes.nic.in](http://www.holidayhomes.nic.in)अथवा [www.gpra.nic.in](http://www.gpra.nic.in)

